न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :– **हेमराज गुर्जर (आरएएस**

प्रकरण सख्याः–106/20 दायर दिनांकः– 29.12.2

रामकिशन पुत्र श्री काईरा जाति माली निवासी ग्राम मगला दौलतपुरा बल्लभगढ तहसील भुसा

बनाम

1.भागमल पुत्र श्री काईरा जाति माली निवासी नगला दौलतपुरा बल्लभगढ तहसील भुसावर भ
2.रामबाबू पुत्र श्री काईरा जाति माली निवासी नगला दौलतपुरा बल्लभगढ तहसील भुसावर भ
3.चेतराम पुत्र श्री काईरा जाति माली निवासी नगला दौलतपुरा बल्लभगढ तहसील भुसावर भ
4.उगन्ती पुत्री काईरा पत्नि रामखिलाडी जाति माली निवासी डरौली तहसील कठूमर जिला अ
5.फूलवती पुत्री काईरा पत्नि तारा जाति माली नवासी डरौली तहसील कठूमर जिला अलवर
6.किरनदेई पुत्री काईरा पत्नि रामेश्वर जाति माली नवासी समौची तहसील कठूमर जिला अल
7.भगवानदेई पुत्री काईरा पत्नि चेतराम जाति माली निवासी मुण्डयारा कस्वा भुसावर तहसील
8.राजास्थान सरकार जरिये तहसीलदार भुसावर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित –श्री महेश मीना ....वादी
श्री राजू सैनी प्रतिवादीगण

निर्णय–दिनांक 07.09.2022

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 ए0 का संक्षिप्त विवरण कि आ0 ख0 नं0 804 में सम्पूर्ण भाग के ख0 न0 833 के 88/448 हिस्से के, व ख0 न0 हिस्से के, ख0 न0 825 के 1/4 हिस्से के, व ख0न0 746 के 1/4 हिस्से के, एवं ख0 न के 1/4 हिस्सा तथा 755,757,765,766,768,823 के 1/4 हिस्से के, तथा अ0 ख0 न0 632 के बाके ग्राम बल्लभगढ़ के वादी व प्रतिवादी गण से 1 लगायत 7 खातेदार काश्तकार एवं है शेष हिस्से पर अन्य खातेदारन मुताबिक जमीन के खातेदार काश्तकार है।

उक्त वर्णित आराजीपात में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 की सं

अतः प्रार्थी द्वारा प्रा0 पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए अस्था
करने बावत् निवेदन किया गया है। हमने प्रार्थी का प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाक

तल्बी जरिए रजिस्टर्ड डाक कराई गई नोटिस कबी ताईद में अप्रार्थीगण सं. 2
वकालतनाामा व जबाव प्रा0 पत्र श्री रामेश्वर दयाल शर्मा एडवोकेट द्वारा पेश किया ग
अप्रार्थीगण सं. 2 व 5 की ओर से वकालतनामा श्री राजू सैनी एडवोकेट द्वारा पेश
की तल्बी बार–बार अवसर दिए जाने के बावजूद भी नहीं कराई गई उनकी तलबी बं
हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की दलीलों व बहस पर मनन किया गया
दस्तावेजी रिकार्ड का भली–भांती अवलोकन किया गया जिससे इस नतीजे पर पहुं
वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त आराजीयात है जिसके प्रत्येक इंच पर सभी स
माना जाना वाजिव है।

अतः उक्त आराजीयात के संबंध फरीकेन के मध्य जब कानूनी बटवारा
तक पक्षकारान के मध्य कानूनी पेचीदगीओं के बढने से बचने की दृष्टि से एवं मौके
की संभावना को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर मूल वाद के
न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी स्थगन दिनांक 29.12.20 ता फैसला दावा कन्फर्म किय

यह आदेश आज दिनांक 07.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर स
गया।

(हेमरा
उपखण्ड अधि
मुसाव